न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0ः–599/2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010043262026

दुर्गेश्वर प्रसाद उर्फ बाबू पुत्र सुरजन राव।
सा0मौ0–आदमपुर (अकबरपुर), थाना–लाइनबाजार, जिला–जौनपुर।
प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–199/2026
धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा–7 कि0ला0ए0 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना–लाइनबाजार, जिला जौनपुर।

04.06.2026

आवेदक/अभियुक्त दुर्गेश्वर प्रसाद उर्फ बाबू के द्वारा मु0अ0सं0–199/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा–7 कि0ला0ए0 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना– लाइनबाजार, जिला जौनपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि उ0नि0 रामप्रकाश यादव मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म वांछित चौकी क्षेत्र मौजूद था कि सूचना प्राप्त हुई कि आदमपुर अकबरपुर में कुछ लोग विवाद कर रहे है। उक्त सूचना पर विश्वास करके दिनांक 19. 05.2026 को समय करीब 10.00 बजे शनि गौतम के घर के सामने पहुंचा तो पाया कि शनि गौतम के घर पर शादी की सालगिराह कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर प्रथम पक्ष के दुर्गेश्वर प्रसाद उर्फ बाबू, जितेन्द्र कुमार, शनि उर्फ राजबहादुर, प्रशान्त विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा व कुछ अज्ञात तथा द्वितीय पक्ष के अबूशाद, रिजवान, मुफिद, गुड्डू उर्फ मुस्ताक, शाहिल खान, अजीम खान, बाबू भाई व कुछ अज्ञात गाड़ी टकराने के बात को लेकर दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मौके पर उसके द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ समझाने बुझाने का प्रयास किया। परन्तु उभय पक्ष नहीं माने। उन लोगों के इस कृत्य से आस पास के लोगों के भय का माहौल कायम हो गया तथा घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के कारित होने के पूर्व प्रथम पक्ष के दुर्गेश्वर उर्फ बाबू, प्रशान्त विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, आदि के द्वारा द्वितीय पक्ष के अबुशाद के मोटर साइकिल में कार से टक्कर मारने के कारण हुये विवाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया गया था, जिससे लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया। आस पास के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे व मौके पर अफरा तफरी का माहोल पैदा हो गया। सामान्य लोक शान्ति व्यवस्था पूरी तरह भंग हो गयी। मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उच्चाधिकारीण को सूचित किया गया। दोनों पक्षों के घरों के आस पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर शान्ति व्यवस्था कायम की गयी। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे गलत ढंग से अभियुक्तगण बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो पक्षों के मध्य विवाद होने की बात वादी मुकदमा द्वारा की गयी है। उस विवाद के दौरान स्वयं को अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचाना कहा गया है, किन्तु किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी उस दौरान नहीं की गयी है तथा दौरान विवेचना पुलिस ने गलत गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गये मोटर साइकिल और कार में टक्कर हो जाने के कारण उसके द्वारा हवाई फायरिंग की घटना की गयी जबकि घटना का स्वयं वादी मुकदमा चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी ने किसी के उपर गोली नहीं चलाया है। प्रार्थी के पास से किसी भी आयुध की बरामदगी नहीं की गयी है और उक्त बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र साक्षी को बुलाने का प्रयास नहीं किया गया है। उक्त घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध

है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो पक्षों के मध्य मोटर साइकिल से कार में टक्कर लग जाने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा विवाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, दोनों पक्षों द्वारा लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने, समाज में भय का माहोल व्याप्त करने, सामान्य लोक शान्ति व्यवस्था पूरी तरह भंग करने तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम की पुष्टि वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित की गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। दौरान विवेचना अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। पत्रावली पर किसी चोटहिल की कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दुर्गेश्वर प्रसाद उर्फ बाबू के द्वारा मु0अ0सं0–199/2026, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा–7 कि्0ला0ए0 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना–लाइनबाजार, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

<u>दिनांक 04.06.2026</u> प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

नितिन कुमार/– जौनपुर।